



सत्यमेव जयते

**राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**  
**National Commission for Scheduled Tribes**

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)  
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

Case File No: NCST-270/22/ATY-90/205/2021-APCR

Dated: 13.02.2023

To,

✓ श्री गोविंद राम,  
अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद,  
बलरामपुर  
जिला- बलरामपुर- रामानुजगंज,  
छत्तीसगढ़

**Sub:** सीएम ओ , नगर पालिका परिषद , बलरामपुर श्री सुमित गुप्ता द्वारा अनुसूचित जनजाति नगर पालिका परिषद अध्यक्ष श्री गोविंद राम के विरुद्ध जाती सूचक गाली गलौच एवं जान से मारने की धमकी देने पर पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं किए जाने की शिकायत बाबत श्री राम विचार नेतम, माननीय सांसद (राज्य सभा)द्वारा अग्रसरितअभ्यावेदन ।

मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि श्री अनंत नायक, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने आपके प्रकरण में दिनांक **21.02.2023** समय **04:00** (पूर्वान्ह) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सभागार, छठा तल, लोकनायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली में सिटिंग निश्चित की है, जिसमे सम्बंधित अधिकारियों तथा आपके साथ विचार विमर्श किया जायेगा।

आपसे निवेदन है कि उपरोक्त तिथि एवं समय की सिटिंग में आयोग में उपस्थित हो।

*Ankit*

(अंकित कुमार सेन / Ankit Kumar Sen)  
अनुसंधान अधिकारी /Research Officer

Copy for information to: ( w.r.t. your letter No. सां/रास/दिल्ली/48/21 Dated 05.10.2021)

श्री राम विचार नेताम,  
माननीय सांसद (राज्य सभा)  
601, एस.जे. सदन डीलक्स  
डॉ. बी. डी. मार्ग, नई दिल्ली - 110 001

(अंकित कुमार सेन / Ankit Kumar Sen)  
अनुसंधान अधिकारी /Research Officer